Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पुलिस सहायक उप निरीक्षक 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 सितम्बर* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर शहर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पूनाराम पुलिस सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना भोपालगढ़ में मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने, मदद करने तथा मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की एवज में पूनाराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा **14 हजार रूपये** की रिश्वत राशि और मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** तथा एसीबी जोधपुर शहर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह** के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा पुलिस थाना भोपालगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये पूनाराम पुलिस सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लैखनीय है कि आरोपी द्वारा **4 हजार रूपये** की रिश्वत राशि दौराने सत्यापन के परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।